781/वि.
16/03/2024

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय : 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु **Notional** (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य करने के संबंध में ।

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 83 तथा 85 में कालमान में वेतनवृद्धि का उल्लेख है । वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 दिनांक 28.02.2009 के द्वारा 6th PRC के तहत् Date of next increment in the revised pay structure का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार :- "There will be uniform date of annual increment viz 1st July of Every year. Employees completing 6 months and above in the revised pay structure as on 1st of July will be eligible to be granted the increment. The first increment after fixation of pay on 01.01.2006 in the revised pay structure will be granted on 01.07.2006 for those employees for whom the date of next increment was between 1st July 2006 to 1st January 2007."

2. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 217 दिनांक 18.01.2017 की कंडिका 18 में Date of next increment in revised pay structure in 7th PRC निम्नवत् निर्धारित है :-

"These shall be two dates for grant of increment namely 1st January and 1st July of every year instead of existing date of 1st July.

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation."

उल्लेखनीय है कि उक्त अनुसार राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को कर्मियों को वेतनवृद्धि दी जाती है ।

3. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के उक्त संकल्प संख्या 217 दिनांक 18.01.2017 की कंडिका 23 में उल्लेख है :-

Interpretation:- If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of this resolution, it shall be referred to the State Government for decision. In case of Interpretation regarding any of the conditions is required; it should be read with context of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Resolution No. 1-2/2016-IC dated 25th July, 2016 & Notification No. G.S.R.721 (E) dated 25th July, 2016 and also other office memorandum/notification/circulars issued by Government of India in this regard from time to time.

4. DoPT, GOI के Office Memorandum दिनांक 24.06.2021 के द्वारा Grants of Benefit of one Notional increment (as due on 1st July) for the pensionary benefits to those employees who has retired on 30th June before drawing the same के संबंध में दायर न्यायिक मामलों हेतु Office Memorandum दिनांक 03.02.2021 के द्वारा निदेश निर्गत है ।

Grants of Benefit of one Notional increment (as due on 1st July) for the pensionary benefits to those employees who has retired on 30th June before drawing the same के संबंध में अद्यतन निदेश उपरोक्त अनुसार ही है ।

5. उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.04.2023 के न्यायादेश के क्रम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा उक्त न्यायादेश की तिथि अर्थात दिनांक 11.04.2023 के उपरांत सेवानिवृत होने वाले कर्मियों हेतु Grants of benefit of one notional annual increment with monetary benefit to all the employees retiring from service on 30th June/31st December, on completion of one year qualifying service, for pension and pensionary benefits संबंधी सुविधा स्वीकृत की गयी है ।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय सेवकों की सेवानिवृति के पश्चात् संदर्भित मामलों में आगामी तिथि पर Notional increment सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु मान्य की गयी है ।

DoPT, GOI द्वारा उक्त संदर्भ में अद्यतन निर्णय/निदेश अबतक निर्गत नहीं है ।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 2471/2023 के मामले में दिनांक 11.04.2023 को पारित न्यायादेश के क्रम में सम्यक विचारोपरांत उक्त न्यायादेश की तिथि अर्थात दिनांक 11.04.2023 के उपरांत 30 जून/ 31 दिसम्बर को वेतनवृद्धि हेतु एक साल की अर्हक सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होने वाले झारखण्ड राज्य के कर्मियों को केवल पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु एक Notional (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

7. W.P. (C) No. 643/2015 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.05.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में उपर्युक्त प्रावधान राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों हेतु भी मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 16.03.2024 की बैठक में मद संख्या 01 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

16/03/24

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांकः-34/विविध/काल्पनिक वेतनवृद्धि/01/24/वित्त 781/वि॰ राँची, दिनांक 16/03/2024

प्रतिलिपिः- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/ पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने के निमित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/03/24

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांकः-34/विविध/काल्पनिक वेतनवृद्धि/01/24/वित्त 781/वि. राँची, दिनांक 16/03/2024
प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/03/24
(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांकः-34/विविध/काल्पनिक वेतनवृद्धि/01/24/वित्त 781/वि. राँची, दिनांक 16/03/2024
प्रतिलिपिः- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

16/03/24
(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव ।